(49)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला अनूपपुर

III/निगरानी/अनूपपुर/भू०रा०/2017/2195

मोहम्मद अबरार पुत्र स्व0 श्री अब्दुल हफीज, आयु 55 साल, निवासी – कोतमा, जिला अनूपपुर (म0प्र0)

— आवेदक

मोहम्मद अबरार, आवेदक स्वयं
13-7-17
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ
राजस्व मण्डल म.प्र. 13-7-17

बनाम

हाजी मौ0 हनीफ पुत्र स्व0 श्री हाजी नई मुल्ला, आयु 70 साल, निवासी– कोतमा, जिला अनूपपुर (म0प्र0)

— अनावेदक

मो0 अबरार

न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अपील पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोतमा कर आदेश, अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में निगरानी प्रकरण क्रमांक 1352/दो/2017 माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें माननीय न्यायालय

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अनूपपुर/भू-रा./2017/2195

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
13.7.17	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि इस न्यायालय द्वारा अभिलेख बुलाये जाने का आदेश दिया गया था, जिसके पश्चात तहसीलदार द्वारा अभिलेख भेजने का आदेश दिया है, किन्तु पुनश्चः करके अपने पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 7.7.17 को निरस्त कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। 2-- मैंने आवेदक अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुने बिना आदेश पारित किया है, अतः ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योगय नहीं है, एवं तहसीलदार के अपने पूर्व आदेश को निरस्त करने का भी अधिकार नहीं है। 3-- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार को अपने वरिष्ठ न्यायालय से पुर्नावलोकन की अनुमति लेने के पश्चात ही अपना आदेश पुनः पारित करना चाहिये। अतः प्रकरण समाप्त कर इस आदेश के साथ अतहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता हैं कि वह विधि अनुसार आदेश पारित करें । सदस्य	